न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 02/2020

1 श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री हरीराम जाति भड़िया जाट आयु 50 वर्ष मूल निवासी बीबीपुर बड़ा वर्तमान निवासी ट्रक यूनियन के पास सीकर तहसील व जिला सीकर, मोबाइल नम्बर 9667994417 तत्कालीन अध्यक्ष फतेहपुर महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड फतेहपुर।

2 हरीराम पुत्र गीदाराम जाति भड़िया जाट आयु 52 वर्ष मूल निवासी बीबीपुर बड़ा वर्तमान निवासी ट्रक यूनियन के पास सीकर तहसील व जिला सीकर मोबाईल नम्बर 9667994417 तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापक फतेहपुर महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड फतेहपुर शाखा सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 जिला रसद अधिकारी सीकर तहसील व जिला सीकर।

2 अपर जिला कलेक्टर महोदय, सीकर तहसील व जिला सीकर।

3 जिला कलेक्टर महोदय, सीकर तहसील व जिला सीकर।

4 राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर सीकर।

5 उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर।

6 उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर जिला सीकर।

7 सुशील कुमार पुत्र मगनलाल शर्मा जाति चोटिया ब्राहम्ण निवासी बीबीपुरा बड़ा वर्तमान निवासी घोड़ी की कब्र के पास बावड़ी गेट के पास फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर तत्कालीन व्यवस्थापक फतेहपुर महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड फतेहपुर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 23ए The Rajasthan public Demands Recovery Act, 1952 विरूद्व निर्णय अपर जिला कलेक्टर महोदय, सीकर मुकदमा नम्बर 6/2004 बी.टी. नम्बर 4/2015 अनुवानी जिला रसद अधिकारी सीकर विपरित श्रीमती कमला देवी वगैहर अन्तर्गत Public Demand Recovery Act, 1952 दिनांकित 11.02.2020 जिसके अनुसार अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 7 से तथाकथित मूल बकाया राशि 17,71,715/— रूपये अक्षरेही सत्रह लाख इकहेतर हजार सात सौ पन्द्रह रूपये मात्र वर्ष 2004 से 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज एवं पी.डी.आर. एक्ट की धारा 14 के तहत इस सन्दर्भ में बने नियम 12ए के तहत कोस्ट 10 प्रतिशत से 1,77,171/— रूपये अंकेही एक लाख सतहतर हजार एक सौ इकहतर रूपये मात्र बराबर बराबर वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उपस्थिति :

1. श्री मदनलाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गीगराज मीणा राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 19.01.2021

यह अपील विचारण न्यायालय अपर जिला कलेक्टर सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 06/2004 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि फतेहपुर महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, फतेहपुर शेखावाटी राजस्थान का पंजीयन दिनांक 13.10.1999 को राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 के

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अन्तर्गत किया गया। जिला कलेक्टर रसद सीकर के आदेश कमांक 38/2000 दिनांक 03.05.2000 के उक्त संस्था को उक्त दिनांक से फतेहपुर तहसील क्षेत्र के लिए राशन सामग्री का अधिकृत थोक विक्रेता नियुक्त किया गया तथा माह मार्च 2003 में सीकर के अधिकृत थोक विक्रेता सीकर कय विकय सहकारी समिति सीकर का लाइसेन्स निलम्बित हो जाने पर उपरोक्त संस्था को सीकर तहसील क्षेत्र के लिए अधिकृत थोक विक्रेता नियुक्त किया गया। उक्त संस्था की अपीलांट संख्या 01 श्रीमती कमला देवी अध्यक्ष रही हैं। उक्त संस्था में फतेहपुर में मुख्य व्यवस्थापक रेस्पोडेंट संख्या 07 श्री सुशील कुमार शर्मा तथा सीकर शाखा में व्यवस्थापक अपीलांट संख्या 02 हरिराम रहे हैं। उक्त भण्डार को अधिकृत थोक विक्रेता के रूप में खाद्यानों एवं आवश्यक पदार्थो के कय विकय के लिए भण्डारण के लिए जिला कलेक्टर सीकर द्वारा प्राधिकार पत्र संख्या 38/2000 दिनांक 03.05.2000 को जारी किया गया। इस प्राधिकार पत्र के अनुसरण में फतेहपुर तहसील के लिए उपरोक्त भण्डार को जिला कलेक्टर सीकर के आदेश दिनांकित 09.10.2000 के द्वारा थोक विक्रेता नियुक्त किया गया एवं इसी प्राधिकार के अनुसरण में जिला कलेक्टर सीकर के आदेश कमांक 149–58 दिनांकित 13.03.2003 के द्वारा उक्त भण्डार को सीकर तहसील क्षेत्र का समस्त योजनाओं का गेहूं आवंटन, उठाव व वितरण करने के लिए अधिकृत किया गया। उक्त समिति सुचारू रूप से अपना कार्य कर रही थी। जिला कलेक्टर सीकर द्वारा उक्त संस्था के विरूद्ध गम्भीर अनियमितताएं पाई जाने का मनमाना आरोप लगाकर, उक्त समिति के विरूद्ध प्रभावी विभागीय कार्यवाही करने के कम में समिति को जारी प्राधिकार पत्र दिनांक 14.06.2003 को अग्रिम आदेशों तक तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया। तत्पश्चात जिला प्रशासन द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 7 के विरूद्ध उक्त प्रकरण में गेहूं वितरण एवं भण्डारण में आधारहीन अनियमितता के आरोप लगाकर अपीलांट को परेशान किया जाने लगा। जिला रसद अधिकारी रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 07 के विरूद्ध एस.जी. आर.वाई. डी.आर.डी.ए. सीकर के कुल 2353.03 क्विंटल गेहूं के गबन की राशि

मु. जिला अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मय ब्याज 17,71,715/– रूपये की वसूली पी.डी.आर. के तहत किये जाने हेतु Requisition for a certificate पी.डी.आर. एक्ट की धारा 3 एवं नियम 15 के तहत Form No. 1 में दिनांक 09.08.2004 को बनाकर जिला कलेक्टर के यहां प्रेषित कर दिया। जिला कलेक्टर सीकर द्वारा जिला रसद अधिकारी सीकर के इस Requisition for Recovery पर कार्यवाही शूरू कर, अपीलांट्स को न्यायालय में तलब किया। बाद में प्रकरण दिनांक 06.04.2015 को बिना अपीलांट्स को सूचित किये, न्यायालय अपर जिला कलेक्टर सीकर के यहां अग्रिम कार्यवाही हेतु स्थानान्तरित कर दिया। जिला कलेक्टर सीकर ने मनमाने तरीके से, कानून के प्रावधानों के विपरित, बिना अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर दिये, दिनांक 11.02.2020 को अपीलांटस की अनुपस्थिति में मूल धन 17,71,715/– रूपये, ब्याज की राशि 35,70,005/– रूपये तथा कोस्ट 1,77,171/– रूपये कुल 55,18,891/– रूपये की वसूली पी.डी.आर. एक्ट के अन्तर्गत अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 07 से बराबर–बराबर वसूल किये जाने का आदेश पारित कर दिया तथा साथ ही उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत Form No. 2 दिनांक 11.02.2020 को उक्त राशि की वसूली हेतु जारी कर दिया, जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोंडेट संख्या–1 जिला रसद अधिकारी सीकर ने अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट संख्या–7 क विरूद्व एस.जी.आर.वाई.डी.आर.डी.ए सीकर के कुल 2353.03 क्विंटल गेहूं के गबन की राशि मय ब्याज 17,71,715/– रूपयों की वसुली पी.डी. आर. एक्ट के तहत किये जाने हेतु Requistion for a Certificate पी. डी.आर. एक्ट की धारा 3 एवं नियम 15 के तहत Form no 1 में दिनांक 09/08/2004 को बनाकर जिला कलेक्टर सीकर के यहॉ प्रेषित कर दिया। जिला रसद अधिकारी का उक्त Requistion Certificate प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर सीकर ने दिनांक 19/08/2004 को कार्यवाही प्रारम्भ कर,

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण को उसी दिन दर्ज रजिस्टर कर, दिनांक 28/09/2004 की अपस्थिति के लिए अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट संख्या–7 को नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया। दिनांक 23/08/2004 को जिला कलेक्टर सीकर द्वारा अपीलांट्स के विरूद्व फार्म नम्बर–3 में नोटिस अन्तर्गत धारा 6 जारी कर दिया। उक्त नोटिस की तामील दोंनों ही अपीलांट्स पर व्यक्तिशः नहीं होकर रूक्मा पर करवाई गई जो अपीलांट संख्या–1 की सास तथा अपीलांट संख्या–2 की माता है। उक्त नोटिस जो फार्म नम्बर–3 में भेजा गया, के साथ धारा 4 के सर्टिफिकेट की कोई नकल नहीं भेजी गई। जैसा कि अपीलांट्स की नोटिस की तामील से स्पष्ट हैं। दिनांक 16/11/2004 को अपीलांट संख्या–2 ने न्यायालय जिला कलेक्टर के यहॅा उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत कर दिया। अपीलांट् संख्या–1 पर कभी नोटिस की तामील हुई ही नहीं। इसलिए वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। दिनांक 16/11/2004 को न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर ने अपीलांट संख्या–1 की तामील होना गलत मान लिया। दिनांक 06/04/2015 को प्रकरण अपर जिला कलक्टर सीकर को स्थानान्तरित (Transfer) कर दिया गया। जिसकी कोई सूचना अपीलांट्स को नहीं दी गई। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11/02/2020 को बिना अपीलांट्स को सुने, उनकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया। जिसके अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट संख्या–7 से कुल 55,18,891/– रूपयों की वसूली पी.डी.आर. एक्ट के अन्तर्गत बराबर बराबर वसूल किये जाने का आदेश पारित कर दिया। साथ ही वसूली हेतु नियम 4 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश पारित कर दिया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11/2/2020 के साथ ही फार्म नम्बर–2 में अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत Certificate of public Demand की कोई सूचना अपीलांट्स को नहीं दी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन पर RLW 1957 PP-370 Rajhumal v/s The state of Rajasthan का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया। अपीलाण्ट्स ने जिला रसद अधिकारी सीकर के समक्ष उपस्थित होकर

जिला कलेक्टर एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर.

उनसे हिसाब का मिलान करने हेतु निवेदन किया गया तो उन्होने कहा कि सम्बन्धित प्रलेख भ्रष्टाचार निवारण विभाग (Anticorruption Department) जयपुर में भेज दिये है। अपीलाण्ट संख्या–2 ने जयपुर के भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय जयपुर में उक्त प्रलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का आवेदन किया तो न्यायालय ने परिशिष्ट–2 के अनुसार अपना निर्णय पारित कर दिया। इस प्रकार योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने सुनवाई के मूलभूत अधिकार को दरकिनार कर, इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर गौर नहीं कर, प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत कार्य किया है। चुनौतीग्रस्त फार्म नम्बर–1 के कॉलम संख्या–3, 3 ए एवं 4 में अंकित ईबारत के संबंध में डी.एस.ओ सीकर द्वारा कोई प्रलेखीय प्रमाण योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। पी.डी.आर एवं रूल्स के प्रावधान आज्ञापक है। जिनकी अक्षरशः पालना की जानी आवश्यक होती है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त अधिनियम एवं नियमों के मूलभूत प्रावधानों की ही पालना नहीं की है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों की, नियम 3 के अन्तर्गत बने प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। फार्म नम्बर–1 में सम्बन्धित अधिकारी की Requistion of recovery प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर को अपने कार्यालय में निर्धारित प्रारूम में फार्म नम्बर–4 फाईल करना पडता है तथा ऐसे सर्टिफिकेट्स का रिकार्ड मय विवरण के उक्त अधिनियम के तहत बने नियमों के नियम 13 के अन्तर्गत Register of Certificat में रखना पडता है। उक्त अधिनियम की धारा 4 में सर्टिफिकेट जारी करने के पूर्व जिला कलेक्टर को दो अनिवार्य शर्तो की पालना करनी आवश्यक होती है। प्रथम इस बात की सन्तुष्टी कि फार्म नम्बर–1 में की गई डिमाण्ड राशि पी.डी.आर एक्ट के तहत वसूली योग्य है तथा द्वितीय उक्त राशि की रिकवरी दावा के माध्यम से किया जाना कानूनन विबन्धित नहीं है। उक्त दोनों शर्तो की पालना होने के पश्चात् ही धारा 4 में सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कही भी अंकित नही किया है कि वे फार्म नम्बर–1 Requistion of recovery की

मु.प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सरसरी जांच की है तथा इससे वे सन्तुष्ट है। धारा 4 में सन्तुष्टी का आधार Requistion होता है, नां ही प्रतिपक्षी का जवाब। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त की पालना के विषय में योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने एक शब्द भी नही लिखा है। इस प्रकार उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 में जारी किया गया सर्टिफिकेट कानून सम्मत नहीं रह जाता है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष डी.एस. ओ सीकर ने फार्म नम्बर–1 में दिनांक 09/08/2004 का जारी किया हुआ Requistion प्रस्तुत किया। दिनांक 19/08/2004 को योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच या अपनी सन्तुष्टी व्यक्त किये, अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोंडेंट संख्या–7 को दिनांक 28/09/2004 की उपस्थिति हेतु जरिये नोटिस तलब कर लिया। अपीलाण्ट् संख्या–2 ने यथासमय अपना जवाब नोटिस प्रस्तुत कर दिया। इसके पश्चात् अपीलाण्ट्स को उनका पक्ष प्रस्तुत करने की तथा प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का बिना अवसर दिये मनमाने आधारो पर यह निर्णय पारित कर दिया।'' Mode of service service of a notice issued under section 6, or under any other provision of this Act, shall be made by delivering or tendering of copy thereof, signed by the Collector and Sealed with the seal of the Collector '' अपर जिला कलेक्टर ने दिनांक 11/02/2020 को अन्तर्गत धारा 4 का सर्टिफिकेट अपने हस्ताक्षरों से जारी किया है तथा इसी आधार पर तथाकथित बकाया राशि की वसूली का आदेश पारित किया है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि पूर्व मे दिनांक 23/08/2004 का कोई वैध सर्टिफिकेट धरा 4 के अन्तर्गत फाईल नहीं किया गया। प्रकरण मे दिनांक 11/02/2020 को अपर जिला कलेक्टर सीकर द्वारा हस्ताक्षरित धारा 4 का सर्टिफिकेट बनाया जाना प्रतीत होता है। उक्त दिनांक 11/02/2020 के सर्टिफिकेट फाईल होने के बाद इसकी कोई प्रति अपीलाण्ट्स को धारा 6 के अन्तर्गत नहीं भेजी गई है। Legal & valid Certificate undar sec.4 of the Act, के अभाव में रकम वसूली का जिला कलेक्टर का आदेश patent Lack of jurisdiction माना जाता है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में ARR 1962 Calcutta 499 (Para-2), RLW1971 (R.S) PP-62 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है। योग्य अधिनस्थ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय ने अपीलाण्ट्स की तामील के सन्दर्भ में आदेश 5 नियम 17 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में ARR 1978 Patna pp-289 (Para 5&6), RLW 1957 PP-370 ,RLW 1959 (R.S.)PP-140 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है। प्रकरण में नियम 4,5,6,9 के प्रावधानों की पालना नही की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में RLW 1966 PP-253 (Para-5, 6, 7, 8 &9) का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है। प्रकरण में फतेहपुर महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी उसे पक्षकार नही बनाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में AIR 1961 Kerala pp-258 (para.3) का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11/02/2020 का है। इस उक्त दिवस को अपीलाण्ट्स की उपस्थिति मे निर्णय नही सुनाया गया। प्रकरण की सुनवाई जिला कलेक्टर महोदय सीकर में चल रही थी। बाद मे प्रकरण को दिनांक 06/04/2015 को दिनांक 01/04/2015 के आदेशानुसार सुनवाई हेतु अपर जिला कलेक्टर सीकर के यहां प्रेषित कर दिया गया। जिसकी सूचना अपीलाण्ट्स को नही दी गई। अपीलाण्ट सं02 जब भी आगामी तारीख की जानकारी करने जिला कलेक्टर कार्यालय/न्यायालय मे जाता तो उसे रीडर द्वारा यही बताया गया कि अभी कलेक्टर साहब अन्य कार्यो में व्यस्त है। इसलिए प्रकरण की सुनवाई शीघ्र नहीं हो रही है। जब भी सुनवाई होगी आपको सूचित कर दिया जावेगा। जिला कलेक्टर के रीडर ने अपीलाण्ट सं0 2 को कभी भी यह नही बताया कि प्रकरण को सुनवाई हेतु दिनांक 06/04/2015 को अपर जिला कलेक्टर सीकर के यहां प्रेषित कर दिया गया है। अपर जिला कलेक्टर सीकर द्वारा अपीलाण्ट्स को प्रकरण स्थानान्तरित होकर उनके यहां आने के बाद इस बाबत् कोई सुचना नही दी। दिनांक 24/02/2020 को अपीलाण्ट सं02 को जिला कलेक्टर सीकर के न्यायालय मे पूछताछ करने पर पता चला कि उसका मुकदमा अपर जिला कलेक्टर के यहां स्थानान्तरित कर दिया गया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलाण्ट सं02 ने तत्काल अपर जिला कलेक्टर के न्यायालय मे पूछताछ की तो उसे न्यायालय के रीडर से पता चला कि प्रकरण मे दिनांक 11/02/2020 को निर्णय हो चुका है। इस पर अपीलाण्ट सं0 2 ने तत्काल निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का आवेदन दिनांक 24/02/2020 को प्रस्तुत किया। जिस पर उसे दिनांक 24/02/2020 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई। अपीलाण्ट को दिनांक 24/02/2020 के पूर्व चुनौतिग्रस्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी। अधिनियम की धारा 23ए के अनुसार 30 दिवस में अपील प्रस्तुत की जा सकती है। जानकारी के दिन से गणना करने पर अपील दिनांक 25/03/2020 तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था किन्तु उपरोक्त समयावधि में विश्वव्यापी कोरोना महामारी कोविड–19 वायरस के कारण दिनांक 25 मार्च 2020 से 31 मई 2020 पर देशव्यापी लोक–डाउन होने से तथा 1 जून 2020 से 30 जून 2020 तक कन्टेनमेंट जोन्स में लोक–डाउन होने के कारण देश/राज्य व जिले में जो स्थितियां थी, उस कारण अपीलाण्ट द्वारा नियत समयावधि में आकर अपने अधिवक्ता से मिलकर, अपील तैयार करवाकर, अपील प्रस्तुत करना संभव नहीं था। इस कारण निर्धारित समयावधि में अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी तथा कन्टेनमेंट जोन्स को छोड़कर शेष स्थानों पर 31 मई 2020 को लोक–डाउन समाप्त होने पर तथा अपीलाण्ट को यातायात की सुविधा उपलब्ध होने पर अपीलाण्ट ने अपने अधिवक्ता से मिलकर अपील तैयार करवाई और अब अपील अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुति में जो विलम्ब हुआ, वह मजबूरन हुआ, विलम्ब के लिय अपीलाण्ट कतई जिम्मेदार नहीं है। इस समयावधि के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी अपने आदेश दिनांकित 23/03/2020 जो SOU MOTU Writ petition (Cvil) NO.(S) 03/2020 IN RE COGNIZANCE FOR EXTENSION OF LIMITATION के जरिये सामान्य कानून एवं विशेष कानून चाहे वह केन्द्र के हो या राज्य सरकार के, सभी प्रकरणों में नियत समयावधि (लिमिटेशन) जो तय की गई है, को 15 मार्च 2020 से अग्रिम आदेश तक बढाया जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश आज भी प्रभावशील

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है। इस कारण इस प्रकरण में अपील प्रस्तुत करनें में जो विलम्ब हुआ है, उसे न्यायहित में क्षमा किये जाने पर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद प्रस्तुत है तथा अपील प्रस्तुती में जो विलम्ब हुआ उसके लिए डिले कन्डोन करने का आवेदन अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मय शपथ पत्र अपील के साथ सादर प्रस्तुत कर दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने लिखित बहस का जवाब प्रस्तुत नही कर मौखिक बहस करते हुये कथन किया है कि प्रस्तुत प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है।

प्रकरण में भण्डार का प्राधिकार पत्र संख्या–38/2000 दिनांकित 03/05/2000 जिला कलेक्टर सीकर द्वारा जारी किया गया। भण्डार (संस्था) को फतेहपुर तहसील का थोक विक्रेता दिनांक 09/10/2000 को तथा सीकर तहसील को थोक विक्रेता दिनांक 13/03/2003 को नियुक्त किया गया। उक्त भण्डार का कार्य सरकार की समस्त योजनाओं के लिए गेहू आवंटन, उठाव व वितरण करने का था। उक्त भण्डार पर मनमाने ढ़ंग से अनियमितताओं का आरोप लगाकर दिनांक 14/06/2003 को भण्डार का प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेश तक जिला कलेक्टर सीकर द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया। रेस्पोंडेट संख्या–1 जिला रसद अधिकारी सीकर ने अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट संख्या–7 क विरूद्व एस.जी.आर.वाई.डी.आर.डी.ए सीकर के कुल 2353.03 क्विंट गेहूं के गबन की राशि मय ब्याज 17,71,715/– रूपयों की वसुली पी.डी. आर. एक्ट के तहत किये जाने हेतु Requistion for a Certificate पी.डी.आर. एक्ट की धारा 3 एवं नियम 15 के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तहत Form no 1 में दिनांक 09/08/2004 को बनाकर जिला कलेक्टर सीकर के यहाँ प्रेषित कर दिया। जिला रसद अधिकारी का उक्त Requistion Certificate प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर सीकर ने दिनांक 19/08/2004 को कार्यवाही प्रारम्भ कर, प्रकरण को उसी दिन दर्ज रजिस्टर कर, दिनांक 28/09/2004 की उपस्थिति के लिए अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट संख्या–7 को नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया। दिनांक 23/08/2004 को जिला कलेक्टर सीकर द्वारा अपीलांट्स के विरूद्व फार्म नम्बर–3 में नोटिस अन्तर्गत धारा 6 जारी कर दिया। उक्त नोटिस की तामील दोंनों ही अपीलांट्स पर व्यक्तिशः नहीं होकर रूक्मा पर करवाई गई जो अपीलांट संख्या–1 की सास तथा अपीलांट संख्या–2 की माता है। उक्त नोटिस जो फार्म नम्बर–3 में भेजा गया, के साथ धारा 4 के सर्टिफिकेट की कोई नकल नहीं भेजी गई। जैसा कि अपीलांट्स की नोटिस की तामील से स्पष्ट हैं। दिनांक 16/11/2004 को अपीलांट संख्या–2 ने न्यायालय जिला कलेक्टर के यहाँ उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत कर दिया। अपीलांट् संख्या–1 पर कभी नोटिस की तामील हुई ही नहीं। इसलिए वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। दिनांक 16/11/2004 को न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर ने अपीलांट संख्या–1 की तामील होना गलत मान लिया। दिनांक 06/04/2015 को प्रकरण अपर जिला कलक्टर सीकर को स्थानान्तरित (Transfer) कर दिया गया । जिसकी कोई सूचना अपीलांट्स को नहीं दी गई। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11/02/2020 को बिना अपीलांट्स को सुने, उनकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया। जिसके अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट संख्या–7 से कुल 55,18,891/– रूपयों की वसूली पी.डी.आर. एक्ट के अन्तर्गत बराबर बराबर वसूल किये जाने का आदेश पारित कर दिया। साथ ही वसूली हेतु नियम 4 के अन्तर्गत वसूली हेतु प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश पारित कर दिया। नियम 15 के अनुसार फार्म नम्बर–1 में कुल 6 Columns होते हैं, जिनमें अन्तिम Columns Budget head wherein rcovery shal be deposited भरना पड़ता हैं। जिला रसद अधिकारी द्वारा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भेजा गया फार्म अपूर्ण है। धारा 3 में यह प्रावधान हैं:— Every such requisition shall be signed amd verifoed in the prescribed manner. पी.डी.आर एवं रूल्स के प्रावधान आज्ञापक है। जिनकी अक्षरशः पालना की जानी आवश्यक होती है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त अधिनियम एवं नियमों के मूलभूत प्रावधानों की ही पालना नहीं की है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों की, नियम 3 के अन्तर्गत बने प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। फार्म नम्बर–1 में सम्बन्धित अधिकारी की Requistion of recovery प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर को अपने कार्यालय में निर्धारित प्रारूम में फार्म नम्बर–4 फाईल करना पडता है तथा ऐसे सर्टिफिकेट्स का रिकार्ड मय विवरण के उक्त अधिनियम के तहत बने नियमों के नियम 13 के अन्तर्गत Register of Certificates में रखना पडता है। उक्त अधिनियम की धारा 4 में सर्टिफिकेट जारी करने के पूर्व जिला कलेक्टर को दो अनिवार्य शर्तो की पालना करनी आवश्यक होती है। प्रथम इस बात की सन्तुष्टी कि फार्म नम्बर–1 में की गई डिमाण्ड राशि पी.डी.आर एक्ट के तहत वसूली योग्य है तथा द्वितीय उक्त राशि की रिकवरी दावा के माध्यम से किया जाना कानूनन विबन्धित नहीं है। उक्त दोनों शर्तो की पालना होने के पश्चात ही धारा 4 में सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कही भी अंकित नही किया है कि वे फार्म नम्बर–1 Requistion of recovery की सरसरी जांच की है तथा इससे वे सन्तुष्ट है। धारा 4 में सन्तुष्टी का आधार Requistion होता है, नां ही प्रतिपक्षी का जवाब। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त की पालना के विषय में योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने एक शब्द भी नही लिखा है। इस प्रकार उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 में जारी किया गया सर्टिफिकेट कानूनन सम्मत नहीं रह जाता है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष डी.एस.ओ सीकर ने फार्म नम्बर–1 में दिनांक 09/08/2004 का जारी किया हुआ Requistion प्रस्तुत किया। दिनांक 19/08/2004 को योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच या अपनी सन्तुष्टी व्यक्त किये, अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोंडेंट संख्या–7 को दिनांक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

28/09/2004 की उपस्थिति हेतु जरिये नोटिस तलब कर लिया। अपीलाण्ट् संख्या–2 ने यथासमय अपना जवाब नोटिस प्रस्तुत कर दिया। इसके पश्चात् अपीलाण्ट्स को उनका पक्ष प्रस्तुत करने की तथा प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का बिना अवसर दिये मनमाने आधारो पर यह निर्णय पारित कर दिया।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना एवं अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जिसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है। फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अधिनियम में वर्णित विधिक प्रक्रिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.02.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 19.01.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर